



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6204

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40697 वर्ष 2025

अर्जुन सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मनीष तिवारी, पवन कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी; राज्य के विद्वान अटॉर्नी जनरल की ओर से बात सुनी और रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका आवेदक अर्जुन सिंह की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे मुकदमा

अपराध संख्या 795/2023, धारा 147, 302, 201, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत, पुलिस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्टेशन मझोला, जिला मुरादाबाद में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

यह आवेदक की दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा 01.05.2025 को खारिज कर दी गई थी और अवर न्यायालय को निर्देश दिया गया था कि आवेदक के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी की जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पुलिस के समक्ष दर्ज किए गए उसके इकबालिया बयान और उसके द्वारा बताए जाने पर बरामद किए गए चाकू के अलावा अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यह बरामदगी कानून के अनुसार नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने **सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य, आपराधिक अपील संख्या 242/2022** के मामले में अपने फैसले के अनुच्छेद संख्या 78 में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी आरोपी व्यक्ति के बयान के आधार पर बरामदगी करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है:-

क) पुलिस स्टेशन में दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाया जाना चाहिए।

ख) दो गवाहों की उपस्थिति में, आरोपी से बरामदगी संबंधी बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए।

ग) पंचनामा में आरोपी व्यक्ति द्वारा बताए गए सटीक शब्दों को दर्ज किया जाना चाहिए।

घ) पंचनामा का पहला भाग पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाना चाहिए।

ड) घटनास्थल से बरामद वस्तु पंचनामा का दूसरा भाग होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता का दो आपराधिक मामलों का इतिहास है। एक मामला धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत है और दूसरा धारा 332, 353 आईपीसी और 135, 140 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत है। वर्तमान मामले में फँसने के बाद, आवेदक को धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत एक मामले में फँसाया गया है। वह 06.11.2023 से जेल में है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि उसे मुकदमे से पहले के चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों में बल पाते हुए; मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; पुलिस द्वारा एकतरफा जांच, जिसमें आरोपी पक्ष के मामले की अनदेखी की गई; आवेदक के विचाराधीन होने के कारण उचित सुनवाई का मौलिक अधिकार; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 लॉ सूट (एससी) 677** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानत राशि इतनी ही हो, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।

(ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या न्यायालय के निर्देशानुसार। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा, जो (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित हैं। यदि अवर न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो अवर न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

9 जनवरी 2026

रुचि अग्रहरि

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।